न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 22/2016

प्रार्थीगण :–

1. मंगाराम पुत्र विरमाराम जाति चौधरी निवासी थोब
2. मंगलाराम पुत्र हनुमानराम
3. समरथाराम पुत्र हनुमानराम
4. गोपराम पुत्र हनुमानराम प्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 जरिये कुदरती वली माता टीपुदेवी
5. टीपुंदेवी पत्नि हनुमानराम चौधरी निवासी राजेश्वर नगर थोब पचपदरा, बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मंगाराम पुत्र जेठाराम कलबी चौधरी निवासी राजेश्वर नगर थोब, तहसील पचपदरा बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम कडवासरा वकील

'आदेश'

दिनांक :– 10.1.17

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम राजेश्वर नगर थोब, मे खसरा न0 1032/971 रकबा 37 बीघा 13 विस्वा व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा न0 1031/971 रकबा 37 बीघा 13 विस्वा भूमि ग्राम राजेश्वर नगर थोब, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर मे स्थित है। प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की खातेदारी के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 24.2.2016 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तामिल के बावजुद अनुपस्थित अतः उक्त विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल की जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(प्रभाती लाल जाट)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ), बालोतरा

Scanned by CamScanner